राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

क्र.स.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	187 / 2022	देवचन्द वडेरा	1. राजस्थान राज्य जरिये, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, शिक्षा विभाग बीकानेर। 2. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, बांसवाडा। 3. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, उदयपुर।
2.	186 / 2022	हरि शंकर कटारा	
3.	188 / 2022	कालूराम वडेरा	

आदेश की दिनांक : 09.01.2024

उपस्थित –
अपीलार्थीगण की ओर से : श्री पी. आर. मेहता, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री यशवन्त मेहता, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– **अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)**
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. उपर्युक्त उपरोक्त वर्णित समस्त अपीलों में समान आपत्ति उठायी गयी है। अतः समस्त अपीलों का निस्तारण एक साथ इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 187ध्2022 देवचन्द वडेरा बनाम राजस्थान राज्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।
2. अपीलार्थी ने इस अपील में यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 21.07.1980 को अध्यापक ग्रेड–तृतीय के रूप में हुई थी। इसके पश्चात अपीलार्थी ने दिनांक 22.07.1980 को अपनी सेवाएं प्रारम्भ की। अपीलार्थी के सेवा में रहते हुए जिला स्थापना समिति, जिला परिषद बांसवाड़ा की विज्ञप्ति के अनुसरण में अपीलार्थी को दिनांक 05.07.1980 को अध्यापक ग्रेड–तृतीय के पद पर नियमित रूप से नियुक्ति दी गई। अपीलार्थी के संबंध विकास अधिकारी, पंचायत समिति बागीदौरा ने यह आदेश पारित किया कि अपीलार्थी की दिनांक 22.07.1980 से 29.02.1988 तक की निरंतर सेवा देने से नियुक्ति की तिथि से स्थाई किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को प्रथम नियुक्ति की दिनांक 22.07.1980 से स्थाई किया जा चुका है। इस प्रकार अपीलार्थी को 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रथम नियुक्ति की दिनांक 22.07.1980 से सेवा की गणना करते हुए दिलाया जाये और अपीलार्थी को समस्त पारिणामिक लाभ भी दिलाये जाये।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 03.07.1985 के द्वारा नियमित नियुक्ति प्रदान की गई थी। अपीलार्थी 1985 से ही चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी

है। यह भी अंकितश किया गया है कि अपीलार्थी को पूर्व में जो नियुक्ति प्रदान की गई थी, वह अस्थाई नियुक्ति थी। नियमित नियुक्ति दिनांक 03.07.1985 से ही प्रदान की गई है और तभी से अपीलार्थी समस्त लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है।

4. हमने दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति का आदेश दिनांक 21.07.1980 के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी को अस्थाई तौर पर 6 माह के लिए अथवा चयनित प्रत्यर्थी उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो, उपस्थिति की दिनांक से नियुक्ति दी गई थी। इस प्रकार अपीलार्थी को जो नियुक्ति 21.07.1980 के आदेश के द्वारा दी गई थी, वह पूर्णतः अस्थाई तौर पर नियुक्ति दी गई थी। नियुक्ति आदेश दिनांक 05.07.1985 से प्रकट होता है कि अपीलार्थी को जिला परिषद द्वारा जारी विज्ञापन से नियमित नियुक्ति प्रदान की गई। इस प्रकार अपीलार्थी की नियमित नियुक्ति दिनांक 05.07.1985 के आदेश के द्वारा ही मानी जा सकती है। इसके पूर्व अपीलार्थी को नियुक्ति प्रदान की गई थी, वह तदर्थ आधार पर अस्थाई सेवाएं (ad-hoc) दी थी, जिन्हें अपीलार्थी अपने सेवाकाल में जुड़वाने का अधिकारी नहीं है।

5. माननीय उच्च न्यायालय ने प्रकरण एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14491/2013 में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बनाम श्रीमती इंदु शर्मा व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.08.2015 में माननीय उच्च न्यायालय ने निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है :–

> "7. In view of the admitted factual matrix, the controversy raised herein may not detain this Court for long in the face of authoritative pronouncement on the issue by the Hon'ble Apex Court of the land in the case of Jagdish Narain Chaturvedi (supra), wherein the Hon'ble Supreme Court held that promotion has to be in the existing cadre in service. Adhoc appointment is always to a post, but not to the cadre/service and is not made in terms of recruitment rules for regular appointment. In case of ad hoc employees, stagnation is till regularization is made. The stress in the present case is on 'regular' appointment to cadre/service. The question of promotion arises only when appointment is a regular appointment. Further, appointment to the post is not relevant; on the other hand, what is relevant is the period relatable to cadre of the service. Therefore, while reckoning the required length of service, the period of ad hoc service has to be excluded.
>
> In view of the law declared by the Hon'ble Supreme Court in the case of Jagdish Narain Chaturvedi (supra), it is evident that the respondent-employee was not appointed in any existing

cadre/service, and therefore, ad hoc/temporary appointment will not qualify to be treated as 'regular appointment'.

9. For the reasons and discussions herein above and in view of the law declared by the Hon'ble Supreme Court in the case of Jagdish Narain Chaturvedi (supra), the impugned order passed by the learned Tribunal cannot be sustained and has to be quashed and set aside.

10. Ordered accordingly.

11. Consequently, the writ application succeeds. The impugned order dated 11th December, 2002, is hereby quashed and set aside.

12. In view of the final adjudication on the writ application, the stay application stands closed.

13. However, in the facts and circumstances of the case, there shall be no order as to costs."

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्थान राज्य बनाम जगदीश नारायण चतुर्वेदी (2009) 12 एस.सी.सी. 49 में पारित आदेश दिनांक 08.05.2009 में स्पष्ट निर्देश दिये गए हैं कि चयनित वेतनमान हेतु नियमित नियुक्ति की तिथि से ही सेवा की गणना की जानी है जिसकी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने उक्त निर्णय में पुनः पुष्टि की हैं।

7. माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत डी.बी. स्पेशन अपील रिट संख्या 589/2015 राजस्थान राज्य बनाम चन्द्रा राम में पारित तीन न्यायाधिपति की पीठ के निर्णय दिनांक 03.07.2017 का अवलोकन करें तो उक्त निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने निम्न बिन्दूओं पर अपना निर्णय दिया है :–

"(a) Whether the respondents stand regularized from the date of appointment after scrutiny by the District Establishment Committee?

(b) Whether their order of regularization is still valid or hás been annulled?

(c) Whether the appellants can assail the order of regularization without having actually annulled it till today?

(d) Whether there can be two dates for regularization of an employee, retrospective for some purposes and prospective for others?

(e) Does Goparam (supra) lay down the correct law in distinguishing Jagdish Narain Chaturvedi (supra) and Surendra Mohnot (supra)?"

उपरोक्त बिंदूओं पर माननीय उच्च न्यायालय से निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है:–

37. QUESTION A For the reasons and discussions aforesaid and in view of the law declared by the Supreme Court in the case of Jagdish Narain Chaturvedi and Surerldra Mahnot & Ors. (supta); we are of the opinioh that the respondent -

employee would stand regularized from the date of regularization in service and not prior to that.

38. QUESTION B Taking into consideration the recent decision, prior to two decades the regularization period not questioned by anybody, therefore, in a writ petition filed by the petitioner it will not be appropriate for us to allow the Government to end the regularization. However, regularization will be from the date of regularization done by the department and not prior thereto.

39. QUESTION C The contention of the counsel for the employees is required to be accepted and it cannot be annulled unless it has been annulled by appropriate authority. However, the benefits shall not be withdrawn but in future when the benefits are to be accorded for further promotion, the same will be considered on the basis of new law declared by the Supreme Court i.e. period will be considered from the date of regularization. When the future benefit of 9, 18 and/or 27 will be considered their ad-hoc service will not be considered for the purpose of benefit of 9, 18 and/or 27 years. But if benefit has already been granted for all the three scales; the same shall not be withdrawn and no recovery will be made from the employees.

40. QUESTION D In view of our answer in above matters, it is very clear that for the purpose of regularisation the date of regularisation will be from the date of regular appointment. In that view of the matter, there cannot be two dates for the purpose of seniority and the other benefits. However, earlier services will be considered for the purpose of the same if there is a shortage in pensionary benefits.

41. QUESTION E In view of the observations made by the Supreme Court, as referred to above, the ad-hocism will not be considered for seniority. In that view of the matter, there will be only one date for regularization, date of regularizing ad-hoc period will not have any effect on seniority. In our considered opinion, the Division Bench of this Court in the case of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram in DB Civil Special Appeal No.44/2016, decided on 18.04.2016 had no right to distinguish the judgment of the Supreme Court in the case of Jagdish Narayan Chaturvedi (Supra) and State of Rajasthan vs. Surendra Mohnot & Ors. (supra). Thus, the decision of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram (supra) did not lay down correct law. The correct law would be the law declared by the Supreme Court in the two judgments referred hereinabove.

8. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा वर्ष 1980 से 1985 के मध्य जो सेवाएं दी गई थी, वह ad-hoc के रूप में दी गई सेवाएं थी। इन सेवाओं को अपीलार्थी चयनित वेतनमान के लाभ के लिए एवं अन्य लाभ के लिए अपने सेवाकाल में जुड़वाने का अधिकारी नहीं है।

9. परिणामस्वरूप तीनों अपीलों में हम कोई बल नहीं पाते हैं। अतः तीनों अपीलें खारिज की जाती है।

10. मूल आदेश अपील संख्या 187/2022 में एवं छायाप्रति अन्य अपीलों में सलंग्न की जावे।

(असलम मेहर)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)